झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–147 वर्ष 2020

कुटु पहाड़िया उर्फ सूरजा पहाड़िया .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष।

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अनिल कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए:– श्री पी0के0 चौधरी, ए0पी0पी0

02 / दिनांकः 17.06.2020

1. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता स्थिति के सामान्य होने पर कार्यालय द्वारा यथा इंगित त्रुटियों को दूर करने का वचन देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान समय के लिए त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाए।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के मद्देनजर, त्रुटियों को वर्तमान समय के लिए नजरअंदाज किया जाता है।

3. यह पुनरीक्षण, आपराधिक अपील सं0 66 / 2019 में दिनांक 12.12.2019 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज ने

याचिकाकर्त्ता (विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित या पाये जाने वाला किशोर) की जमानत की प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्राथमिकी में कथन के अनुसार, सूचक का बेटा याचिकाकर्त्ता और तीन अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ हड़िया (चावल बीयर) पिया था। जब उसका बेटा घर नहीं लौटा, तो उसके बाद उसने आरोपी व्यक्तियों से सम्पर्क किया और उनसे अपने बेटे के ठिकाने के बारे में पूछा और उन्होनें उसे बताया कि उन्होनें उसके बेटे को छोड़ दिया था। इसके बाद, उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने बेटे को खोजना शुरू किया और उसके शव को फुटबॉल के मैदान के पास कुएं में पाया।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सह–अभियुक्त बबलू पहाड़िया, पेट्रो पहाड़ी और जिप्रो पहाड़ी, जिन्होनें याचिकाकर्त्ता के साथ 'हड़िया' पी थी, को समकक्ष न्यायपीठ द्वारा दिनांक 05.07.2019 के आदेश से बी0ए0 सं0 3595/2019 में जमानत प्रदान किया गया है और किशोर का मामला भी समान प्रकृति का है।

5. विद्वान ए0पी0पी0 ने विरोध किया है और निवेदन किया है कि याचिकाकर्त्ता का नाम एफ0आई0आर0 में है और सामाजिक जाँच रिपोर्ट के अनुसार, उसके माता–पिता को इस बात की संभवना लगती है कि यदि वह जमानत पर छुटता है तो उसे नैतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक खतरे का सामना करना पड़ेगा।

6. सुना गया है। याचिकाकर्त्ता का मामला सह–अभियुक्तों के समान है, जिन्हें जमानत पर छोड़ा गया है, तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता को जी0आर0 सं0 1062/2018 के

अनुरूप, तलझारी थाना काण्ड सं0 154/2018, ई0 सं0 21/2019 के संबंध में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, साहिबगंज की संतुष्टि के प्रति दो प्रतिभूतियों के समान राशि के साथ 10,000/– (दस हजार रूपये) के बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त पर कि एक जमानतदार उसका करीबी रिश्तेदार होगा जो यह वचन देगा कि (i) याचिकाकर्त्ता का अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए (ii) वह यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर याचिकाकर्त्ता किसी भी असामाजिक तत्व के सम्पर्क में नहीं आता है और (iii) जब भी बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाएगा, याचिकाकर्त्ता को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परिवीक्षा अधिकारी आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यदि बोर्ड के समक्ष कोई प्रतिकूल टिप्पणी लाई जाती है, तो वह याचिकाकर्त्ता की जमानत को रद्द करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा। जाँच के समापन तक याचिकाकर्त्ता बोर्ड के समक्ष उपस्थित होगा।

7. पूर्वोक्त दिशा–निर्देश के साथ पुनरीक्षण एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता न्याया0)